

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ २/१ /2024

दिनांक : 11.09.2024

श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ00612), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर को दिनांक 17.09.2024 से 08.10.2024 तक 22 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिन्दल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

10.9.24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/69/2008/ 7143

दिनांक : 11.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 28588 दिनांक 02.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ00612), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), अलवर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, अलवर।


10/9/2024
सहायक रजिस्ट्रार